



ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्र.3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

प्रो. मनोज कुमार
Pro. Manoj Kumar
कुलानुशासक/Proctor

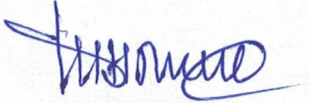
दूरभाष / Phone : + 91-7152-247124
मोबाइल / Mobile : + 91-9422404277
ईमेल / Email : manajkumardean@rediffmail.com

पत्रांक: 011/2018-19/कुला.जा.क्र. 143
दिनांक: 21.05.2019

सूचना

प्रायः यह देखा जाता है कि बिना आबंटन के कई शोधार्थी/विद्यार्थी छात्रावास की सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। किसी भी प्रकार बिना लिखित अनुमति के कोई भी विद्यार्थी या शोधार्थी छात्रावासों में नहीं रहे। अगर कोई अंतःवासी बिना अनुमति के अपने कमरे में किसी अतिथि को रखते हैं तो प्रथमतः उनके छात्रावास की सुविधा निरस्त कर दी जाएगी, भविष्य में उन्हें छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाएगी तथा उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

छात्रावास अधीक्षक/केयर टेकर को निर्देशित किया जाता है कि अनधिकृत रूप से रह रहे शोधार्थी/विद्यार्थी की सूची, फोटो आई-कार्ड की छाया प्रति के साथ किस कमरे में रह रहे हैं और वह कमरा किनके नाम से आवंटित है, की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को दो दिनों के भीतर दें।


(कुलानुशासक)

प्रतिलिपि:

1. सभी छात्रावास अधीक्षक-आवश्यक कार्रवाई हेतु
2. लीला विभाग -वेबसाइट पर अपलोड हेतु